

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-05 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना इटियाथोक पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अमरेश कुमार उर्फ मुसऊ पुत्र बराती लाल नि० ग्राम गुरसड़ा थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-363/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अनन्तराम सोनकर पुत्र ननकऊ सोनकर नि० ग्राम भदवा सोमवंशी थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-377/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना खोडारे द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राधेश्याम पुत्र सुरेमन राजभर नि० केशव नगर ग्रण्ट थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-148/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. दुर्गेश कुमार पुत्र रामकेवल उर्फ पप्पू नि० सेखुई थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-340/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रोहित पुत्र काशीराम निवासी ग्राम थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-350/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना कौडिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. संतोष कुमार शुक्ला पुत्र रवीन्द्र कुमार शुक्ला नि० ग्राम लैबुडवा थाना कौडिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-203/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

07. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मुन्ना निषाद पुत्र अंगनू नि० ग्राम महेशपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-321/21, 02. हरिश्चन्द्र कोरी पुत्र स्व० बुधराम नि० ग्राम बाबा मनोहर दास पुरवा टोला भोपतपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-322/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

08. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. जगन्नाथ प्रजापति पुत्र रामउजागर नि० बेतवा थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 19 पाउच देशी कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-278/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 11.10.2021

लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना वजीरगंज पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त-01. दीपू चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना वजीरगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गये थे। जिसके सम्बन्ध में लड़की के पिता द्वारा थाना वजीरगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. दीपू चौहान पुत्र परशुराम नि० दुर्जनपुर घाट फकीरन पुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-349/2021 धारा 363 भादवि थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

उ०नि० राजकुमार तिवारी मय टीम।